डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश सरकार)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)–453441 जिला–इन्दौर (म.प्र.)

Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences,

(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow)-453441 Dist-Indore (MP)

दिनांक : 25.03.2020

क्रमांक : ब्राउस / कु.स. / 2020 / 2237

अधिसूचना

दिनांक 24.03.2020 को सायं 8.00 बजे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन / अपील / आदेश, गृह मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 24.03.2020 तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र. के आदेश क्र. 339 / पी.ए. / 2020 दिनांक 25.03.2020 के परिपालन में विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम हेतु जारी आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं किन्तु यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत स्टाफ द्वारा इसका पालन शक्ति से नहीं किया जा रहा है, आदेश जारी होने के बावजूद एवं स्वयं कोरोना वायरस की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए भी अपने घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, बच्चों को भी घर से बाहर निकाल कर खेलने भेज रहे हैं, जबकि स्पष्ट आदेश है कि घरों से ही बाहर नहीं निकलना है, पूर्णतः प्रतिबंधित है।

विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत स्टाफ को पुनः आदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को समझे और घर से बाहर बिल्कुल न निकले और न ही अपने परिवार के सदस्यों के बाहर निकलने दें। साथ ही समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा आदेशों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा एवं आगामी अधिकारिक आदेश प्राप्ति एवं तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी आदेश जारी किया जायेगा। पूर्व में जारी आदेश क्रमांक : ब्राउस / स्था. / 2020 / 2235 दिनांक 23.03.2020 के परिपालन में समस्त विश्वविद्यालय स्टाफ अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करते रहे एवं उसका कार्य प्रतिवेदन की जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को नियमित प्रस्तुत करते रहें।

वेतन एवं वित्तीय मामलों के लिए वित्त विभाग को पृथक से आदेश जारी किया जा रहा है।

आदेशानुसार,

M.K. Tiwari

(मनोज कुमार तिवारी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. समस्त संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी व छात्र–छात्राओं की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

MKTiwari
कुलसचिव